

दिनांक-01.10.15 को उप निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न SLTC सदस्यों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा संलग्न सूची के अनुसार।

कार्यवाही :-

उप निदेशक द्वारा SLTC के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में IHSDP, RAY एवं HFA की समीक्षा की गई। दिनांक-17.09.15 को की गई समीक्षात्मक बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा अनुपालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुए निम्नांकित विन्दुओं पर अनुपालन का निदेश दिया गया :-

1. SLTC के द्वारा IHSDP योजना की समीक्षा हेतु परियोजनावार आवासीय इकाई का वित्तीय एवं भौतिक स्थिति का अलग-अलग प्रतिवेदन नये प्रारूप में निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही SLTC द्वारा की जा रही है, जिसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। उप निदेशक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त करने के कार्य में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।
2. IHSDP योजना के अंतर्गत HPL द्वारा किये जा रहे 14 परियोजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा नये प्रारूप में HPL को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3. IHSDP एवं RAY के सभी परियोजनाओं का ऑन लाईन डाटा इन्ट्री कराने के लिए प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया है। SLTC द्वारा सूचित किया गया कि ऑन लाईन डाटा इन्ट्री के संबंध में भारत सरकार से संपर्क किया जा रहा है। जब तक ऑनलाईन डाटा इन्ट्री की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक सारे लाभार्थियों का Excel Sheet में डाटा उपलब्ध करने का निदेश दिया गया। IHSDP योजना के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबकी MIS की विस्तृत रिपोर्ट जिसमें किस्तों की संख्या के साथ विमुक्त की गयी राशि एवं लाभुकों के फोटो के साथ घर की भौतिक स्थिति का विवरणी देने का निदेश दिया गया। अतः इस संबंध में अब तक किये गये कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
4. IHSDP योजनाओं के विभिन्न परियोजनाओं की राशि जो बुडा के खाते में संचित है। उसे नगर निकायों को विमुक्त करने हेतु शीघ्र प्रस्ताव दिया जाय।
5. BSUP योजना का पुर्णता: प्रमाण पत्र शीघ्र भारत सरकार को भेजा जाय। BSUP योजना के अंतर्गत केन्द्रांश की अवशेष राशि जो बुडा में संचित है, का MoHUPA द्वारा समायोजन IHSDP मद में कर दिया गया है। अतः BSUP की राशि को IHSDP योजना में स्थानांतरित करने हेतु परियोजनावार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
6. IHSDP योजना के अंतर्गत नगर परिषद, जमुई हेतु राशि आवंटन के लिए SLTC को भारत सरकार से राशि विमुक्त कराने हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।
7. आवास हेतु भूमि निति के संबंध में सभी नगर निकायों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-813 दिनांक-03.07.15 के आलोक में प्रधान सचिव, नगर विकास

एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3942 दिनांक-04.09.15 से प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गयी है (छाया प्रति संलग्न)। सभी नगर निकायों से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय तथा नगर निकाय के राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में समीक्षा हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

8. RAY की समीक्षा रिपोर्ट भी IHSDP के तर्ज पर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
9. सबके के लिए आवास योजना के अन्तर्गत HFAPOA के संबंध में सप्ताहिक बैठक में नगर निकायों की वर्तमान स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


ह0/-

उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/वि-23/15 - 4350

दिनांक- 05.10.15

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-04, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/टीम लीडर, SLTC (IHSDP- RAY) को सूचनार्थ प्रेषित।



उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।